प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

12 अगस्त 2025

जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

जीएसटी के अंतर्गत ई वे बिल प्रणाली पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक-का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 12 को समाप्त वर्ष के लिए 2024 मार्च (12 अगस्त को संसद 2025 में प्रस्तुतकिया गया ।

जीएसटी के अंतर्गत ईवे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा-, दो लेखापरीक्षा उद्देश्यों, सरकार के राजस्व हितों की रक्षा में ई-वे बिल तंत्र की प्रभावशीलता की जांच करना और ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निवारक गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, के साथ की गई थी । इस निष्पादन लेखापरीक्षा में की अवधि से संबंधित 2022 मार्च 31 से 2018 अप्रैल 1ई-वे बिल लेनदेन शामिल थे।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया था और पहचाने गए प्रमुख समस्या क्षेत्रों दो लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए - के आधार पर नमूनों का चयन किया गया था (केपीए)क्रमशः करदाताओं 956से संबंधित 2, 244ई-वे बिल और आयु 58क्तालयों के अंतर्गत निवारक इकाइयों का चयन किया गया।

मुख्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ इस प्रकार हैं :

राजस्व संरक्षण में ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा ने, अंतर राज्यीय आपूर्ति के लिए-ई-वे बिल सृजित करने वाले और कम्पोजीशन लेवी योजना की बिक्री सीमा पार करने वाले ई-वे बिल सृजित करने वाले कम्पोजीशन करदाताओं, ई-वे बिल सृजित करने वाले लेकिन शून्य विवरणी दाखिल करने वाले करदाताओं, ई-वे बिल सृजित करने वाले लेकिन विवरणी दाखिल न करने वाले करदाताओं, पंजीकरण रद्द होने के बाद ई-वे बिल सृजित करने वाले करदाताओं और एक ही बीजक का उपयोग करके कई ई-वे बिल सृजित करने वाले करदाताओं द्वारा कर देयता का गैर कम निर्वहन करने के/₹ 576.86 करोड़ की राशि के 470 उदाहरण देखे।

)पैराग्राफ 4.1. 2(क ((च) से (

लेखापरीक्षा ने तीन आयुक्तालयों से संबंधित करदाताओं द्वारा 18कुल बिक्री को छुपाने का अवलोकन किया, जिन्होंने ₹ 168.3 करोड़ की बाहरी आपूर्ति के लिए 21, 137ई-वे बिल सृजित किये, लेकिन विवरणियां दाखिल न करने या अपनी विवरणियों में कुल बिक्री की गैर कम रिपोर्टिंग के कारण/₹ 45. करोड़ के ब्याज सहित 19₹ 81.करोड़ 11 की कर देयता का निर्वहन नहीं किया।

)पैराग्राफ 4.1.4)

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि करदाताओं ने 72 आयुक्तालयों से संबंधित 28जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 1,357. करोड़ का 89इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त किया था, जबकि जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध

आईटीसी ₹ 1,202.करोड़ था। इस प्रकार 48, जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी और जीएसटीआर -3बी के माध्यम से करदाताओं द्वारा प्राप्त आईटीसी के बीच ₹ 155. करोड़ का अंतर था। 41

)पैराग्राफ 4.1.5)

ई-वे बिल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा की गई कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(i) कंपोजिशन लेवी योजना के करदाता के साथ साथ विभागीय अधिकारी को-कुल बिक्री की सीमा पार करने और अंतर राज्यीय आपूर्ति के लिए-ई-वे बिल सृजित करने के बारे में सचेत करना।

(ii) उच्च मूल्य के ई-वे बिल सृजित करने वाले लेकिन कर देयता का निर्वहन नहीं करने वाले करदाताओं की पहचान करना और ऐसे करदाताओं की सूचना संबंधित अधिकारियों को देना।

(iii) एकल बीजक समान/ बीजक के साथ कई ई-वे बिल के सृजन पर करदाता और विभागीय अधिकारी को सचेत करना।

(iv) पूर्वव्यापी रूप से पंजीकरण रद्द करने से पहले करदाता द्वारा सृजित ई-वे बिल पर विचार करने और जहाँ भी लागू हो, कर वसूली हेतु कार्रवाई करने हेतु उचित अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करना।

)पैराग्राफ 6.2)

विभाग के निवारक कार्यों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने प्रशासनिक कमियाँ, जैसे ई-वे बिल के सत्यापन के लिए समर्पित व्यवस्था का अभाव, अपर्याप्त गश्त वाहन, अपर्याप्त श्रम शक्ति, लक्ष्य न होना या लक्ष्यों के विरुद्ध ई-वे बिल का अपर्याप्त सत्यापन और ई-वे बिल पर एनआईसी की विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का अपर्याप्त उपयोग, देखीं।

)पैराग्राफ5 .1.1.5 से 1.1.1.6)

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा वाहन अवरोधन में भी कमियाँ देखीं, जिनमें कर और जुर्माने का गैरकम संग्रहण / मामलों में देखी गई विसंगतियों में 293 कम सृजन शामिल था।/और प्रणाली में माँग का गैर₹ 3. 39 करोड़की कर राशि शामिल था।

)पैराग्राफ 5.1.2.2)

निवारक कार्यों में सुधार हेतु लेखापरीक्षा द्वारा की गई कुछ सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं :

(i) राजस्व की सुरक्षा हेतु ई-वे बिल सत्यापन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता हेतु श्रम शक्ति और गश्त वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(ii) वाहनों के अवरोधन की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए ई-वे बिल पर एनआईसी विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के उपयोग हेतु उपयुक्त निर्देश जारी करना।

)पैराग्राफ 6.2)

BSC/SS/IK/42-25